- राजभाषा आयोग
- राजभाषा अधिनियम

B.A. I

हिन्दी भाषा

डॉ. जगदीश शरण
सहायक प्रोफ़ेसर हिन्दी
राजकीय महाविद्यालय भोजपुर
(मुरादाबाद)

* स्वयं निर्मित *

Scanned with CamScanner

राजभाषा आयोग, 1955 : संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में 7 जून, सन् 1955 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया ने लिखा है कि इसकी सिफारिशों की जाँच करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः बीस और दस सदस्यों की समिति गठित की गई। इस समिति ने सिफारिश की कि सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग बनाए रखा जाए, साथ ही राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास करने के लिए व्यापक तैयारियाँ भी की जाएँ। ~~समिति की सिफारिशों पर विचार करने~~ श्री बालगंगाधर खेर इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे। आयोग की पहली बैठक 15 जुलाई, सन् 1955 को हुई। अपना पहला प्रतिवेदन ~~के बाद राष्ट्रपति ने सन् 1960 में एक आदेश जारी किया।~~ आयोग ने जुलाई सन् 1956 को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया।

राष्ट्रपति आदेश, 1960 : राष्ट्रपति का यह आदेश दिनांक 27 अप्रैल, सन् 1960 को असाधारण के रूप में प्रकाशित हुआ था। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों की एक संसदीय समिति गठित की गई। समिति ने कुछ सुझाव अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए थे जिन पर विचार-विमर्श के बाद प्रधानमंत्री ने फरवरी, 1959 को एक भाषण दिया था। ~~अतः~~ अनुच्छेद 344 के खण्ड (6) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान रखते हुए ~~इस~~ निम्नलिखित आदेश जारी किए -

1- अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली ~~को~~ अपनाई जाए।

2. शब्दावली तैयार करने में उसका लक्ष्य उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होनी चाहिए।

3- भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि उनमें जहाँ तक हो सके, अधिकतम एकरूपता हो।

4. हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए जो प्रयत्न केंद्र और राज्यों में हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने चाहिए।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सब भारतीय भाषाओं में जहाँ तक हो सके, एकरूपता होनी चाहिए और शब्दावली लगभग अंग्रेजी या अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी ही होनी चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय निम्नलिखित विषय में कार्यवाही करे —

(क) अब तक किए गए काम पर पुनर्विचार और समिति द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल शब्दावली का विकास - विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे शब्द, जिनका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है, कम-से-कम परिवर्तन के साथ अपना लिये जाएँ, अर्थात् मूल शब्द वे होने चाहिए जो कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली में काम आते हैं। भारतीयकरण किया जा सकता है;

(ख) शब्दावली तैयार करने के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबन्ध के विषय में सुझाव देना;

(ग) विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए समिति के सुझाव के अनुसार स्थायी आयोग का निर्माण।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद, प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, ~~केन्द्रीय~~ केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, विधि क्षेत्र में हिंदी में काम करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कदम, हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना का कार्यक्रम आदि आदेश निहित थे।

Scanned with CamScanner

संसदीय राजभाषा समिति 1957 : संविधान में वर्णित अनुच्छेद के अनुरूप गठित राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जाँच हेतु वर्ष 1957 में एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के क्रमश: बीस और दस सदस्यों को रखा गया था।* समिति ने आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख 1959 की अप्रैल माह में रखी थी जिस पर विचार-विमर्श लोकसभा में 2 से 4 सितम्बर, 1959 तक और राज्यसभा में 8 और 9 सितम्बर, 1959 को हुआ था।

संसदीय समिति की सिफारिशें, डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया के अनुसार, निम्नलिखित थीं —

(क) राजभाषा के बारे में संविधान में बड़ी समन्वित योजना दी हुई है। इसमें योजना के दायरे से बाहर जाए बिना स्थिति (फ्रेमवर्क) के अनुरूप परिवर्तन करने की गुंजाइश है।

(ख) विभिन्न प्रादेशिक भाषाएँ राज्यों में शिक्षा और सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। यह स्वाभाविक ही है कि प्रादेशिक भाषाएँ अपना उचित स्थान प्राप्त कर लें। अतः व्यावहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियत तारीख को ही हो। यह परिवर्तन धीरे-धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी न हो और कम-से-कम असुविधा हो।

(ग) सन् 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। सन् 1965 में हिंदी संघ की मुख्य राजभाषा हो

---

* समिति की पहली बैठक तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुई। इस समिति की कुल 26 बैठकें हुईं।

Scanned with CamScanner

जाएगी, किन्तु उसके पश्चात् अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहनी चाहिए।

(घ) संघ के प्रयोजनों में इन स्थितियों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक ऐसे समय नहीं लगाई जानी चाहिए और अनुच्छेद 343 के खण्ड (3) के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि सन् 1965 के पश्चात् भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए, जिन्हें संसद विधि द्वारा उल्लिखित करे, तब तक होता रहे जब तक कि वैसा करना आवश्यक रहे।

(ङ) अनुच्छेद 351 का यह उपबन्ध कि हिंदी का विकास ऐसे किया जाए कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाएँ।

राजभाषा अधिनियम 1963 :

→ राजभाषा सम्बन्धी विधेयक लोकसभा में 13 अप्रैल, 1963 को तथा राज्यसभा में 3 मई, 1963 को पेश किया गया और क्रमशः 25 अप्रैल तथा 7 मई को पारित हुआ। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिनियम "राजभाषा अधिनियम 1963" के रूप में जारी हुआ। यह अधिनियम इस प्रकार है —

"उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम।"

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा। (2) धारा 3 जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम की विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

(2) परिभाषाओं का अधिनियम

(3) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा के बने रहने का अधिनियम,

4- ~~राजभाषा~~ राजकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के सम्बन्ध समिति के गठन का अधिनियम।

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के सम्बन्ध में अधिनियम।

6- कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के बारे में अधिनियम।

7. उच्च न्यायालय के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग के अधिनियम।

8. नियम बनाने की शक्ति के बारे में अधिनियम,

9- कतिपय उपबन्धों (धारा 6 और 7 के उपबन्ध) का जम्मू और कश्मीर पर लागू न होने के बारे में अधिनियम।

राजभाषा संशोधन अधिनियम, 1967, 1976 : राजभाषा अधिनियम 1963 को सन 1967 में पुनः संशोधित किया गया, के अधीन केन्द्रीय सरकार का कामकाज अंग्रेजी में किया जा सकता है।

~~[illegible]~~ राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 के अनुरूप केन्द्रीय सरकार को इन प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार मिला, जिसके अनुरूप राजभाषा अधिनियम, 1976 के राजभाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की। राजभाषा अधिनियम 1976 कहता है 'क' क्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालयों में काम ~~हिंदी~~ केवल हिंदी में, 'ख' क्षेत्र में हिंदी और अंग्रेजी में तथा 'ग' क्षेत्र के राज्यों की सरकारें को पत्रादि अंग्रेजी में लिखने का प्रावधान है।

राजभाषा नियमावली 1976 के अनुसार भाषा के प्रयोग की दृष्टि से देश के विभिन्न राज्यों व केन्द्र-शासित प्रदेशों को निम्नलिखित वर्ग में रखा गया है—

<u>'क' क्षेत्र</u> : बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली, अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह केन्द्र-शासित प्रदेश, उत्तरांचल, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ भी इसी क्षेत्र में शामिल हैं।

<u>'ख' क्षेत्र</u> : गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश।

<u>'ग' क्षेत्र</u> : देश के शेष भाग।

इसके अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ये नियम भी प्रमुख हैं—

मद 9 [नियम 8 (1)] — कोई कर्मचारी किसी फाइल पर हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

मद 10 [नियम 8 (2)] — केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी, जिसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, किसी हिन्दी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो।

राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 10 (4) के अधीन उन कार्यालयों को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करने का प्रावधान है जिनमें कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों का प्रतिशत 80 से अधिक है।

Scanned with CamScanner